

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहायण 13, गुरुवार, शके 1947- दिसम्बर 04, 2025 Agrahayana 13, Thursday, Saka 1947- December 04, 2025	

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुट्टियों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

देवस्थान विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 21, 2025

संख्या प. 5(7)देव/2018 पार्ट-1 :-देवस्थान विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प0 5(7)देव/2018 दिनांक 01.08.2018 से भरतपुर जिले में डीग क्षेत्र में विद्यमान श्री गिरिराज गोवर्धन पर्वत एवं उसके परिक्रमा क्षेत्र के प्रबंधन, संरक्षण एवं विकास हेतु श्री गिरिराज गोवर्धन जी तीर्थ विकास परिषद का गठन किया गया था। राजस्व (गुप-1) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प0 9(18)राज-1/2022(4)दिनांक 05.08.2023 के द्वारा भरतपुर जिले से पृथक कर नवीन जिला डीग का गठन किया गया है एवं गोवर्धन पर्वत का क्षेत्र वर्तमान में जिला डीग के तहसील डीग के अन्तर्गत आ रहा है।

अतः श्री गिरिराज गोवर्धन जी तीर्थ विकास परिषद के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अधिसूचना दिनांक 01.08.2018 के बिन्दु संख्या 4 में पूर्व में नियुक्त सदस्यों के स्थान पर एतद्वारा निम्नानुसार नवीन सदस्य नियुक्त किये जाते हैं:-

बिन्दु संख्या 4-परिषद का गठन –

पूर्व गठित कमेटी के क्रमांक अनुसार	पूर्व में नियुक्त सदस्य	नियुक्त नवीन सदस्य
3	जिला कलेक्टर, भरतपुर	जिला कलेक्टर, डीग
4	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भरतपुर, सदस्य सचिव	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीग, सदस्य सचिव
5	पुलिस अधिक्षक, भरतपुर	पुलिस अधिक्षक, डीग
6	जिला वन अधिकारी, भरतपुर	जिला वन अधिकारी, डीग
7	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भरतपुर	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, डीग
8	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, भरतपुर	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, डीग
9	कोषाधिकारी, भरतपुर	कोषाधिकारी, डीग
10	उपखण्ड अधिकारी, डीग, भरतपुर	उपखण्ड अधिकारी, डीग, (जिला डीग)
12	अधीक्षण अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम, भरतपुर	अधीक्षण अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम, डीग
13	अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, भरतपुर	अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, डीग

14	अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, भरतपुर	अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, डीग
----	---	--

शेष सदस्य व अधिसूचना के अन्य बिन्दु यथावत हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

आलोक कुमार सैनी,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।